रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 1999/ज्येष्ठ 20, 1921
No. 326] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 1999/JYAISTHA 20, 1921

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 जून, 1999

का. आ. 430(अ).—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) 15 सितम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ था और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) 23 नवम्बर, 1997 से स्थापित हुआ था ;

और अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य तथा एक अंशकालिक सदस्य के पद रिक्त हो गए हैं तथा सदस्य (कार्मिक) और सदस्य (वित्त) के पद रिक्त हैं ;

और केन्द्रीय सरकार ने स्वप्रेरणा से प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 4 के अनुसार उपरोक्त पदों को भरने के लिए उपाय किए हैं ;

और प्रसार भारती बोर्ड के निरन्तर कार्य करते रहने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है और उपरोक्त पदों को तदर्थ आधार पर भरने के लिए अंतरिम प्रबन्ध करके यदि तुरत कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) के कार्य में गतिरोध आने की संभावना है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कठिनाइयों को दूर करना आदेश, 1999 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. जब तक केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य, सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) और अंशकालिक सदस्य को नियुक्त नहीं करती है तो तब तक वह कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को जैसा वह उचित समझे यथास्थिति अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य, सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) या, अंशकालिक सदस्य के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करेगी।

[फा. सं 15/4/99-पी.बी.सी.]

रघु मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 10th June, 1999

S.O. 430 (E).—Whereas the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) was brought into force on the 15th day of September, 1997 and the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) was established with effect from the 23rd day of November, 1997 ;

And whereas the posts of the Chairman, Executive Member and a Part-time Member have fallen vacant and the posts of the Member (Personnel) and Member (Finance) are vacant ;

And whereas the Central Government has initiated measures for filling up the aforesaid posts in accordance with section 4 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) ;

And whereas a difficulty has arisen in the continued functioning of the Prasar Bharati Board and the affairs of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) are likely to come to a stand still unless immediate action is taken to provide for an interim arrangement by way of filling up of the aforesaid posts on an ad hoc basis ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Removal of Difficulties Order, 1999.

(2) It shall come into force at once.

2. Until a Chairman, Executive Member, Member (Finance), Member (Personnel) and a Part-time Member are appointed in accordance with the provisions of Section 4 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government shall, appoint such persons as it deems fit on an ad hoc basis, to discharge the functions of a Chairman, Executive Member, Member (Finance), Member (Personnel) or as a Part-time Member, as the case may be.

[F. No. 15/4/99-PBC]

RAGHU MENON, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.